तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य** ——— उपस्थित :– अभिभाषक प्रार्थी श्री मुकेश जैन उप राजकीय अभिभाषक श्री ओ0पी0भट्ट **आदेश** यह निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 84 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सिरोही द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–1–06 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 76 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा पटवारी हल्का आदर्श रिछडी तहसील पिण्डवाडा की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार पिण्डवाडा ने प्रार्थी के विरूद्ध धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाहीं करते हुये बेदखली एवं जुर्माना के आदेश पारित किये। जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने प्रथम अपील जिला कलेक्टर सिरोही के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आदेश दिनांक 21–1–04 से खारिज कर दी गई। उक्त आदेश की द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैंप सिरोही के यहां प्रस्तुत करने पर उन्होनें निर्णय दिनांक 31–1–06 द्वारा खारिज किये जाने से व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कहा कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम व कानून के विरूद्ध हैं। विवादित आराजी पर प्रार्थी का कब्जा 40 वर्षो से भी अधिक का है तथा प्रार्थी का पुराना कब्जा साबित है। उक्त आराजी पूर्व में प्रार्थी की खातेदारी में थी तथा खसरा बदलने पर उक्त आराजी गौचर राजस्व रिकोर्ड मे गलत दर्ज हो गई। दौराने बहस उन्होनें अवगत कराया कि विवादित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	आराजी पर प्रार्थी का मकान बना हुआ है तथा परिवार के साथ रहता है। पुराने कब्जे के आधार पर प्रकरण नियमन कमेटी के समक्ष लम्बित है। इसक बावजूद प्रार्थी के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाहीं की गई है। अतः निगरानी प्रार्थी स्वीकार की जावे तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जावे। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कहा कि प्रार्थी द्वारा राजकीय गौचर भूमि पर अतिक्रमण करने की स्थिति में प्रार्थी को जुर्माने से दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश का गहनता से अवलोकन किया। आलोच्य निर्णयों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकोर्ड में गौचर है जिस पर प्रार्थी का कब्जा होने की स्थिति में उसे विवादित आराजी से बेदखल किया जाकर जुर्माना आरोपित किया गया है। प्रार्थी का यह तर्क कि विवादित आराजी नियमन हेतु लम्बित है, चलने योग्य नही है। क्योंकि गौचर भूमि नियमानुसार किसी भी स्थिति में न तो आवंटित हो सकती है और न ही नियमित। इसके अतिरिक्त प्रार्थी हमारे अथवा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकता जिससे साबित हो कि विवादित आराजी पर उसका कब्जा 40 वर्षो से अधिक का रहा हो। तहसीलदार का गौचर भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने का निष्कर्ष सही प्रतीत होता है तथा तहसीलदार ने प्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–91 के अंतर्गत कार्यवाहीं करते हुये दोष सिद्ध करने में किसी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	प्रकार की तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित नहीं की है तथा उसके विरूद्ध जर्माना आरोपित किया है। तहसीलदार के उक्त आदेश को दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने भी समर्थित किया है। ऐसी स्थिति में हस्तगत् निगरानी खारिज योग्य है। उपरोक्तानुसार यह निगरानी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(आर.के.जायसवाल)** **सदस्य**	

निगरानी / एलआर / 1869 / 2006 / सिरोही
मंगलसिंह बनाम सरकार